



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2007/श्रावण 17, 1929

No. 365]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2007/SRAVANA 17, 1929

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2007

सा.का.नि. 538(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 4क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) (संशोधन) नियम, 2007 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम, 2007 में,—
 - (i) अध्याय 2 में नियम 3 में “क्रमशः उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड” शब्दों के स्थान पर “उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड या वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड” शब्द रखे जाएंगे,
 - (ii) अध्याय 6 में नियम 12 के उप-नियम (2) में “क्रमशः उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड” शब्दों के स्थान पर “उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड या वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2000/एल एम एल/2/46/जिल्द-II]

पी. डी. शर्मा, कार्यपालक निदेशक (भूमि एवं सुवि.) रेलवे बोर्ड
नोट :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 4(अ), दिनांक 4 जनवरी, 2007 में प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2007

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4A read with Section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following amendments in the Rail Land Development Authority (Constitution) Rules, 2007, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Rail Land Development Authority (Constitution) (Amendment) Rules, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Rail Land Development Authority (Constitution) Rules, 2007, —
 - (i) in Chapter II, in rule 3, for the words, “Higher Administrative Grade and Senior Administrative Grade respectively”, the words, “Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade” shall be substituted,
 - (ii) in Chapter VI, in sub-rule (2) of rule 12, for the words, “Higher Administrative Grade and Senior Administrative Grade respectively”, the words “Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade”, shall be substituted.

[F.No. 2000/LML/2/46/Vol.-II]

P. D. SHARMA, Executive Director (L&A) Railway Board

Note:—The principal rules were published *vide* notification number G.S.R 4(E), dated 4th January, 2007.